न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, लखीमपुर–खीरी

शाहिद अली बनाम शमीम।

अ०सं०– 1450/2018
धारा–363, 366 भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली सदर
जिला–लखीमपुर खीरी।

दिनांक–03.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी की ओर से पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त शीर्षक वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें थाने की पुलिस द्वारा जो अंतिम रिपोर्ट भेजी गयी है उससे प्रार्थी को आपत्ति नहीं है। प्रार्थी उक्त वाद को लड़ना नहीं चाहता है। प्रार्थी अपनी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करना चाहता है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी इस मुकदमे का वादी है जिसके द्वारा थाना हाजा पर रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है जिसमें दौरान विवेचना बताया गया है कि वादी मुकदमा की पुत्री के साथ कोई अपराध कारित होना नहीं पाया गया है। पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी है। प्रार्थी/वादी व्यक्तिगत रूप से आज न्यायालय उपस्थित है तथा उसके द्वारा अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है।

चूंकि प्रार्थी/वादी को पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

वादी मु०अ०सं० 1450/2018, धारा–363, 366 भा०दं०सं० थाना– कोतवाली सदर जिला खीरी के मामले में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट संख्या 123/2018 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

सिविल जज (सी०डि०), एफ०टी०सी०/
ए०सी०जे०एम०, लखीमपुर–खीरी।